भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा. सं.6/13/2024 -डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणणज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणणज्य ववभाग

व्यापार उपचार महाननदेशालय

चौथा मंजजल, जीवन तारा भवन,

5, संसद मार्ग, नई ददल्ली -110001

दिनांक: 26 सितंबर 2025

समाप्ति अधिसूचना

(मामला सं. एडी (ओआई) -11/2024)

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सिलोक्सेन पॉलीऑक्सी एल्कीलीन कोपोलिमर जिनकी श्यानता 2500 सीएसटी तक हो" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की समाप्ति।

क परिचय

1. मेसर्स मोमेंटिव परफॉरमेंस मटीरियल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे "मोमेंटिव" या "आवेदक" कहा जाएगा) ने समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा जाएगा) और समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियम" या "एडी नियम, 1995" कहा जाएगा) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" कहा जाएगा) के समक्ष चीन पीआर ("संबद्ध देश") में उत्पन्न या वहां से निर्यात किए गए "2500 सीएसटी तक श्यानता वाले सिलोक्सेन पॉलीऑक्सीएल्किलीन कोपोलिमर" ("विचाराधीन उत्पाद" या "संबद्ध वस्तु") के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए आवेदन दायर किया है।

2. प्राधिकारी ने विधिवत प्रमाणित आवेदन के मद्देनजर, भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 6/13/2024-डीजीटीआर दिनांक 30 सितंबर, 2024 के तहत एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया, जिसमें चीन जनवादी गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद के आयातों की पाटनरोधी जांच शुरू की गई, जो पाटनरोधी नियम, 1995 के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9ए के अनुसार है, ताकि विषयगत वस्तुओं के कथित पाटन के अस्तित्व, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश की जा सके, जो यदि लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

ख **<u>प्रक्रिया</u>**

3. इस जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

क. प्राधिकारी ने एडी नियम, 1995 के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरू करने के लिए आगे बढ़ने से पहले भारत में संबंधित देश के दूतावास को वर्तमान एंटी-डंपिंग आवेदन की प्राप्ति के बारे में सूचित किया।

ख. प्राधिकारी ने 30 सितंबर, 2024 को एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया, जिसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, जिसमें संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात से संबंधित एंटी-डंपिंग जांच शुरू की गई थी।

ग. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, भारत में विषय देश के दूतावास, संबंधित देश के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, विषय वस्तुओं के ज्ञात आयातकों/उपयोगकर्ताओं और अन्य इच्छुक पार्टियों को जांच शुरूआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी। इच्छुक पार्टियों से अनुरोध किया गया था कि वे जांच शुरूआत अधिसूचना में निर्धारित प्रपत्र और तरीके से प्रासंगिक जानकारी प्रदान करें और जांच शुरूआत अधिसूचना द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपनी प्रस्तुतियाँ दें।

घ. प्राधिकारी ने विज्ञापन नियमावली, 1995 के नियम 6(3) के अनुसार आवेदक द्वारा दायर आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण की प्रति ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और भारत में संबंधित देश के दूतावास को भी परिचालित की

ङ. भारत में संबंधित देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को यह सलाह दें कि वे जांच शुरूआत अधिसूचना द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली पर अपने उत्तर प्रस्तुत करें। संबंधित देश के दूतावास को पत्र की एक प्रति और उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए प्रश्नावली की एक प्रति भी भेजी गई थी, साथ ही संबंधित देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पते भी भेजे गए थे।

च. प्राधिकारी ने एडी नियम, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार संबंधित देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी:

क. इवोनिक स्पेशलिटी केमिकल्स शंघाई कंपनी लिमिटेड

ख. शीजियाज़ुआंग हेजिया केमिकल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड

ग. जियांग्सू मेस्टा केमिकल कंपनी लिमिटेड

घ. योक केमिकल्स एंड न्यू मैटेरियल्स (शंघाई) कंपनी लिमिटेड

ङ. शीज़ीयाज़ूआंग हेजिया केमिकल

छ. संबद्ध देश के निम्नलिखित उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:

क. इवोनिक स्पेशियलिटी केमिकल्स (शंघाई) कंपनी लिमिटेड

ज. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/उपयोगकर्ताओं को आवश्यक सूचना मांगते हुए प्रश्नावली भेजी:

क रेकाज़ केमिकल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

ख इवोनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

ग मेसर्स सैम एंटरप्राइजेज

घ प्यारेलाल फोम्स प्राइवेट लिमिटेड

ङ आर. पी. फोम होम प्राइवेट लिमिटेड

च एक्सपेंडेड पॉलीमर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड

छ सान ग्लोबल लिमिटेड

ज प्राइम कम्फर्ट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

झ. निम्नलिखित आयातक ने आयातक प्रश्नावली प्रतिक्रिया प्रस्तुत की:

क इवोनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

ञ. इच्छुक पक्षों को पीयूसी और पीसीएन पद्धति के दायरे पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए आवेदन के अगोपनीय संस्करण के प्रसार की तिथि से 30 दिनों का समय दिया गया था। उत्पादकों/निर्यातकों में से एक, इवोनिक स्पेशियलिटी केमिकल्स (शंघाई) कंपनी लिमिटेड ने पीयूसी और पीसीएन पद्धति के दायरे पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कीं और किसी अन्य इच्छुक पक्ष ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर पीयूसी या पीसीएन के दायरे के लिए प्राधिकरण को कोई टिप्पणी या प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया।

ट. तदनुसार, 27 नवंबर, 2024 को पीयूसी और पीसीएन के दायरे को अंतिम रूप देने के लिए एक बैठक आयोजित की गई। प्राधिकरण ने 11 दिसंबर, 2024 के नोटिस के तहत विषयगत जांच में पीयूसी के दायरे को अधिसूचित किया। प्राधिकारी ने प्रश्नावली के जवाब दाखिल करने के लिए इच्छुक पक्षों को 11 दिसंबर, 2024 से 30 दिनों का समय दिया।

ठ. डीजी सिस्टम्स से क्षति जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों का लेन-देन-वार विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। यह विवरण वर्तमान में प्राधिकारी को प्राप्त हो गया है।

ड. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने इच्छुक पक्षों को 30 जुलाई, 2025 को डीजीटीआर, चतुर्थ तल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001 के सम्मेलन कक्ष में हाइब्रिड रूप में, अर्थात् डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित मौखिक सुनवाई के माध्यम से, विषयगत जाँच के संबंध में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले इच्छुक पक्षों से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों का लिखित निवेदन प्रस्तुत करें, जिसके बाद यदि कोई हो, तो प्रत्युत्तर प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत करें। इच्छुक पक्षों को लिखित निवेदनों का अगोपनीय संस्करण अन्य इच्छुक पक्षों के साथ साझा करने का भी निर्देश दिया गया।

ढ. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि ("पीओआई") 01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 है। वर्तमान जांच के लिए क्षति अवधि 01 अप्रैल 2020 - 31

मार्च 2021, 01 अप्रैल 2021 - 31 मार्च 2022, 01 अप्रैल 2022 - 31 मार्च 2023 और पीओआई है।

ण. प्राधिकारी ने केन्द्र सरकार को अंतिम सिफारिशें करने के लिए विचाराधीन सभी आवश्यक तथ्यों से युक्त प्रकटीकरण विवरण 8 सितंबर, 2025 को सभी इच्छुक पक्षों को परिचालित किया। प्रकटीकरण विवरण पर घरेलू उद्योग सहित विभिन्न पक्षों द्वारा टिप्पणियां दायर की गईं।

ग घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध प्राप्त

4. आवेदक ने 24 सितंबर, 2025 के अपने पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है कि उनके आवेदन को वापस लिया गया माना जाए। उनके अनुरोध में निम्नलिखित उल्लेख है:

"अपने मुवक्किल के निर्देशों के तहत, हम आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि वर्तमान आवेदन दाखिल करने के बाद, बाजार की स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। तदनुसार, घरेलू उद्योग पाटनरोधी नियमावली के नियम 14(ए) के अनुसार वर्तमान आवेदन वापस लेना चाहता है और उसे मौजूदा बाजार स्थिति को ध्यान में रखते हुए उचित समय पर एक नया आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता है।"

घ प्राधिकारी द्वारा जांच

5. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका के आधार पर यह जांच की थी, जिसमें दावा किया गया था कि संबंधित देश से डंप किए गए आयात के कारण भौतिक क्षति हुई है। घरेलू कंपनी द्वारा 24 सितंबर, 2025 के अपने पत्र के माध्यम से किए गए अनुरोध की तदनुसार जांच की गई है। प्राधिकारी नोट करता है कि नियमावली का नियम 14 (ए) निम्नानुसार है:

"14. जांच की समाप्ति। - निर्दिष्ट प्राधिकारी, सार्वजनिक नोटिस जारी करके, जांच को तत्काल समाप्त कर देगा यदि -

(क) *उसे प्रभावित घरेलू उद्योग से या उसकी ओर से ऐसा करने के लिए लिखित अनुरोध प्राप्त होता है*, जिसके कहने पर जांच शुरू की गई थी"

6. यह ध्यान दिया जाता है कि नियम 14 कुछ स्थितियों में जाँच को समाप्त करने का प्रावधान करता है, जिसमें वह स्थिति भी शामिल है जहाँ प्रभावित घरेलू उद्योग द्वारा आवेदन वापस ले लिया जाता है, जिसके कहने पर जाँच शुरू की गई थी। नियमावली के नियम 14 (क) में प्रावधान है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी, प्रभावित घरेलू उद्योग से या उसकी ओर से लिखित रूप में ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर, सार्वजनिक सूचना जारी करके, जाँच को तुरंत समाप्त कर देगा।

7. वर्तमान जाँच में, मेसर्स मोमेंटिव परफॉर्मेंस मैटेरियल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड आवेदक घरेलू उत्पादक है, जिसके कहने पर जाँच शुरू की गई थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग मौजूदा बाजार स्थिति को देखते हुए अपना आवेदन वापस लेना चाहता है।

ङ **<u>निष्कर्ष</u>**

8. घरेलू उद्योग, मेसर्स मोमेंटिव परफॉरमेंस मैटेरियल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए उपर्युक्त अनुरोध के मद्देनजर, और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 14(ए) के प्रावधानों के तहत, प्राधिकारी एतदद्वारा चीन जनवादी गणराज्य में उत्पन्न या वहां से निर्यातित "2500 सीएसटी तक श्यानता वाले सिलोक्सेन पॉलीऑक्सीएल्किलीन कोपोलिमर्स" के आयात के विरुद्ध अधिसूचना संख्या 6/13/2024-डीजीटीआर के तहत 30 सितंबर, 2024 को शुरू की गई जांच को समाप्त करते हैं।

सिद्धार्थ

सिद्धार्थ महाजन
(निर्दिष्ट पदाधिकारी)